

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

क्रमांक / 23 / स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- 22.06.2026

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2026 आदेश क्रमांक 02/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.05.2026 एवं क्रमांक 15/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम 27.05.2026 के स्तंभ क्रमांक 1 की कंडिका क्रमांक 03 (श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) एवं कंडिका क्रमांक 06 (श्रीमती श्रीति अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम) को विलोपित कर पुनः प्रतिस्थापित करता हूँ एवं आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2026 आदेश क्रमांक 02/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.05.2026 के स्तंभ क्रमांक 1 की कंडिका क्रमांक 16 (श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया) को विलोपित करता हूँ एवं कंडिका क्रमांक 17 को विलोपित कर पुनः प्रतिस्थापित करता हूँ। आपराधिक कार्यप्रभार सूची-"अ" एवं अनुसूची "ब" में से सभी कंडिकाओं में से श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया का नाम विलोपित कर आपराधिक कार्यप्रभार सूची-"अ" में से कंडिका क्रमांक 11 भी विलोपित करता हूँ। जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, दिनांक 23.06.2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्रं. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
03.	श्रीमती दिव्या मित्तल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र माखन नगर क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 02. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 03. मुख्यालय नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम के	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण(समरी) एवं खात्मा प्रतिवेदन।

	समस्त प्रकरण। 04. मुख्यालय नर्मदापुरम अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि. म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 05. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) 06. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम एवं मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70	04. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 05. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 06. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 07. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के स्थायी वारंट एवं रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। 08. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 09. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)। 10. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में मुख्यालय नर्मदापुरम के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विचारण एवं उनसे विविध
--	--	--

		(2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) एवं घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 144(3) भा.ना.सु.स. के अंतर्गत समस्त पत्रावली एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा तहसील माखननगर व डोलरिया से उत्पन्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-144, 146, 144-3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। 11. तहसील डोलरिया व माखननगर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 की धारा 144 (द.प्र.स 1973 के अध्याय 9) के अधीन आने वाले भरण पोषण संबंधी प्रकरणों का निराकरण। 12. मुख्यालय नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों से उद्भूत बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरण।
06.	सुश्री श्रीति अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	01. आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात नर्मदापुरम से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. आरक्षी केंद्र अ.जा.क., आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. एवं आरक्षी केंद्र डोलरिया, महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना। 04. आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात नर्मदापुरम से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र। 05. वर्चुअल कोर्ट के समस्त कार्य एवं प्रकरणों की सुनवाई।

तहसील न्यायालय पिपरिया

17.	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया	01. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र मंगलवारा, आबकारी वृत्त पिपरिया, जी.आर. पी.चौकी पिपरिया से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 02. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण। 03. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 04. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य	01. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 03. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोड़कर) परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। 04. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के (महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 05. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 06. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के स्थायी वारंट एवं रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। 07. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रकरण, भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 08. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं वन
-----	---	--	--

		<u>प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)</u>	परिक्षेत्र पिपरिया में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0 पी0एस0 (न्यून मात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 09. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। 10. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर) 11. तहसील पिपरिया एवं बनखेड़ी स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे कार्यों का विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है।
--	--	--	--

अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

अनुमोदित

Shaan
25/6

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश

जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)



फिरोज अख्तर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर

क्रमांक / / पृ.क. / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 06.2026

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

न्यायालय :- फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम म.प्र.

क्रमांक / 24 / स्टेनो / 2026

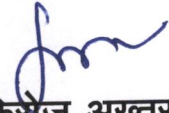
नर्मदापुरम, दिनांक-..... / 06 / 2026

॥ विविध-आदेश ॥

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस न्यायालय के विविध आदेश क्रमांक 03/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.05.2026 में कंडिका क्रमांक 4 में श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के नाम को विलोपित कर श्री अखिलेश चाण्डक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के नाम को माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, प्रतिस्थापित करता हूँ-

क्रमांक	तहसील न्यायालय पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1.	पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री अखिलेश चाण्डक

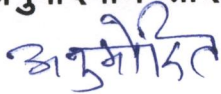
नोट-अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2026 के आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन का कार्य संपादित करेंगे।


(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, म.प्र.

प्रतिलिपि:-

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।
02. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।




(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, म.प्र.


प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)